

**समाहरपालय, मुंगेर ।**  
**(जिला पंचायत राज कार्यालय)**

**आदेश**

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं०-०५ (आ०)/पं०रा०, दिनांक ३१.०५.२०१८ के द्वारा "गैर योजना मुख्य शीर्ष - २५१५ - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - ००१- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - ०००३ - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए कुल ₹ २,११,५०,०००/- (दो करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार ) मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे अधोलिखित पदाधिकारियों को उपावटित किया जाता है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा के पत्रांक:-७१, दिनांक:-१४.०१.२०१९ के द्वारा "गैर योजना मुख्य शीर्ष - २५१५ - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - ००१- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - ०००३ - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल के वेतनादि मद में कुल:- ६,२३,५००.०० रुपये का आवंटन की मांग की गई है:-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर के पत्रांक:-१०१, दिनांक:-१७.०१.२०१९ के द्वारा "गैर योजना मुख्य शीर्ष - २५१५ - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - ००१- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - ०००३ - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल के वेतनादि मद में कुल:- ६,३८,०६४.०० रुपये का आवंटन की मांग की गई है:-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापक:- ५३६/पं०, दिनांक ०५.०६.२०१८ के द्वारा "गैर योजना मुख्य शीर्ष - २५१५ - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - ००१- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - ०००३ - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल के वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए कुल ₹ ३१,३०,०००/- (एकतीस लाख तीस हजार) मात्र जिला पंचायत सुरक्षित रखा गया था, जिसे अधोलिखित पदाधिकारियों को उपावटित किया जाता है।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वेतन (०१-०१)	जौ० या० भत्ता (०१-०३)	मकान भत्ता (०१-०४)	परिवहन भत्ता (०१-०५)	कुल
१	२	३	४	५	६	७
	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर ।	२६०००००.००	२६००००.००	०.००	२७००००.००	३१३००००.००
१	प्र० वि० पदा०, जमालपुर	६०००००.००	५००००.००	०.००	०.००	६,५०,०००.००
१	प्र० वि० पदा०, धरहरा	६०००००.००	५००००.००	०.००	०.००	६,५०,०००.००
	कुल योग -	१२०००००.००	१०००००.००	०.००	०.००	१३,००,०००.००
	जिला पंचायत सुरक्षित	१४०००००.००	१६००००.००	०.००	२७००००.००	१८३००००.००

- उपावटित राशि की निकासी पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- उपावटित राशि की निकासी करते समय कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संचारण समुचित ढंग से हो सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-४-०५/९८-२५६१ वि (२) दिनांक १७ अप्रैल १९९८ एवं २८९ दिनांक २८.०३.२०१८ तथा ३५४ दिनांक २८.०८.२०१८ एवं ३२४४, दिनांक:-०४.०५.२०१८ में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- उपावटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में देय राशि का ही भुगतान किया जाय। किसी परिस्थिति में बकाया का भुगतान नहीं किया जाय, यदि किन्ही व्यक्ति का दावा हो, तो उसके लिए अलग से पूर्ण विवरण सहित माँग पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- उपावटित राशि की निकासी के पश्चात व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के ५वीं तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- उपावटित राशि की निकासी का मांग संख्या-१६ एवं विपत्र कोड संख्या-~~२५१५~~<sup>१६</sup> २५१५०००१०००३ है।
- उपावटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य ये पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

ज्ञापक...१००..... /पं०, दिनांक...२१/०१/१९.....

- प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर एवं धरहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
मुंगेर।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
मुंगेर।